II-157
C.J.

Witness no. .....**04**.....for .....**अभियोजन साक्षी**.....Deposition taken

the.....day of.....**30.04.2022**.....Witness's apparent age.....**62 वर्ष**.....

States on affirmation...**शपथपूर्वक**.....My name is... **खेमराज**

Son of...**स्व.हरभज**.....occupation...**से.नि.सब पोस्ट मास्टर**....

addres....**ग्राम कधरियाणा, पो.आ.डिडविन, जिला हमीरपुर, हिमांचल प्रदेश**

समय 11.45 बजे

1— मैं 02.09.2016 से उप डाकपाल के पद पर डाकघर भोटा में कार्यरत था। मई 2018 में भी मैं भोटा डाकघर में पदस्थ था। मई 2019 में मैं सेवानिवृत्त हो गया था। सी.बी. आई. ने मुझसे वर्ष 2018 में आरोपी विजय कुमार शर्मा के द्वारा खरीदे गये किसान विकास पत्रों के संबंध में पूछताछ और मांग की थी। इस संबंध में मैंने हमारे भोटा डाकघर में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर आरोपी विजय कुमार शर्मा से संबंधित मूल पर्चेस एप्लीकेशन फार्म तथा अन्य जानकारियों से संबंधित पत्र आदि प्रेषित किये थे।

2— सी.बी.आई. के द्वारा पत्र क्रमांक आरसी124015ए0009/सी.बी.आई./ए.सी.बी./रायपुर1053 दिनांक 17.04.2018 के माध्यम से आरोपी विजय कुमार शर्मा और कमलेश कुमारी के द्वारा खरीदे गये किसान विकास पत्रों के संबंध में जानकारी चाही गयी थी। इस संबंध में मैंने अपने पत्र दिनांक 23.04.2018 के माध्यम से तत्कालीन वरिष्ठ अधीक्षक डाक घर, हमीरपुर को सूचित करते हुए अनुमति मांगी थी। उपरोक्त पत्र **प्रपी—120** है, जिसके ए से ए भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं।

3— मैंने अपने पत्र दिनांक 17.05.2018 के माध्यम से आरोपी विजय कुमार शर्मा

II-157
C.J.

Witness no. .....**04**.....for .....**अभियोजन साक्षी**.....Deposition taken

द्वारा खरीदे गये किसान विकास पत्र से संबंधित ओरिजनल पर्चेस एप्लीकेशन फार्म क्रमांक 10263 दिनांक 14.08.2006 सी.बी.आई. को प्रेषित किये थे। उपरोक्त पत्र **प्रपी–121** है, जिसके ए से ए भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं।

4– आरोपी विजय कुमार शर्मा का उपरोक्त ओरिजनल पर्चेस एप्लीकेशन फार्म **प्रपी–122** है, जो कि भोटा डाकघर से खरीदा गया था। आरोपी विजय कुमार शर्मा द्वारा भोटा डाकघर से खरीदे गये दस किसान विकास पत्र क्रमांक 24बीसी907735, 907736, 907737, 907738, 907739, 907740, 907741, 907742, 907743 एवं 907744 हैं। उपरोक्त प्रत्येक किसान विकास पत्र पांच हजार रूपये मूल्य का है, जिनका कुल मूल्य पचास हजार रूपये है।

5– उपरोक्त सभी किसान विकास पत्र मैच्योर हो गये थे जिनकी ब्याज सहित परिपक्वता राशि 1,00,100/–रूपये हुई थी जिनकी अदायगी आरोपी विजय कुमार शर्मा के खाता क्रमांक 9047072838 में दिनांक 02.12.2015 को कर दी गयी थी। इससे संबंधित दस्तावेज की मेरे द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि **प्रपी–123** है, जिसके ए से ए भाग पर मेरे सील सहित हस्ताक्षर हैं। प्रपी–123 को मैंने एक पत्र दिनांक 19.02.2018 के माध्यम से सी.बी.आई. को प्रेषित किया था। यह पत्र **प्रपी–124** है, जिसके ए से ए भागों पर सील सहित मेरे हस्ताक्षर हैं।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री सैय्यद जीशान अधिवक्ता वास्ते अभियुक्तगण

6– यह कहना सही है कि इस प्रकरण से संबंधित किसान विकास पत्र के पर्चेस के समय मैं भोटा डाक घर में पदस्थ नहीं था। यह कहना सही है कि संबंधित किसान विकास पत्र के डिस्चार्ज के समय भी मैं भोटा डाकघर में डाकपाल के पद पर पदस्थ नहीं था। यह कहना गलत है कि किसान विकास पत्रों के डिस्चार्ज होने के बाद आवेदन पत्र

II-157
C.J.

Witness no. .....**04**.....for .....**अभियोजन साक्षी**.....Deposition taken

और संबंधित किसान विकास पत्र हमारे हेड ऑफिस को प्रेषित कर दिये जाते है। स्वतः कहा कि केवल मूल किसान विकास पत्र हेड ऑफिस भेजे जाते है।

7— यह कहना सही है कि किसान विकास पत्र का आवेदन पत्र मेरे आधिपत्य में संधारित नहीं किया गया था। यह कहना सही है कि सभी दस्तावेज सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफिस के निर्देशानुसार उनके आधिपत्य में रखे जाते है। यह कहना सही है कि इस प्रकरण में दस्तावेज सी.बी.आई. को प्रेषित करने के पूर्व मैंने सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफिस से अनुमति चाही थी। स्वतः कहा कि प्रपी—120 के माध्यम से चाही थी। यह कहना सही है कि प्रपी—120 में मेरे द्वारा सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफिस से किसी प्रकार की अनुमति मांगे जाने का कोई उल्लेख नहीं है। यह कहना सही है कि प्रपी—120 के माध्यम से मैंने सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफिस को सी.बी.आई. से आगे पत्राचार स्वयं से करने का निवेदन किया था।

8— यह कहना गलत है कि मुझे सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफिस द्वारा कोई लिखित अनुमति प्रदान नहीं की गयी थी। यह कहना सही है कि प्रकरण में सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफिस से मुझे प्रदान की गयी कोई लिखित अनुमति संलग्न नहीं है। यह कहना सही है कि आज मैं अपने साथ ऐसा कोई अनुमति पत्र भी न्यायालय में लेकर उपस्थित नहीं हुआ हूं। स्वतः कहा कि कार्यालय के रिकार्ड में उपलब्ध होगा।

9— यह कहना सही है कि नये किसान विकास पत्र नकद एवं चैक के माध्यम के अतिरिक्त रि—इंवेस्टमेंट के माध्यम से भी खरीदे जाते है। यह कहना गलत है कि नकद अथवा चैक के माध्यम से अगर किसान विकास पत्र खरीदा जाता है तब आवेदन पत्र के साथ उक्त संबंध में वाउचर एवं जमा पर्ची संलग्न किया जाता है। यह कहना सही है कि प्रपी—122 के आवेदन पत्र के साथ कोई वाउचर अथवा जमा पर्ची संलग्न नहीं है। मैं यह नहीं बता सकता कि प्रपी—122 के माध्यम से खरीदे गये किसान विकास पत्र, रि—इंवेस्ट हुए

II-157
C.J.

Witness no. .....**04**.....for .....**अभियोजन साक्षी**.....Deposition taken

थे। स्वतः कहा कि मैं उस वक्त उस कार्यालय में पदस्थ नहीं था इसलिए मैं नहीं बता सकता।

10— यह कहना सही है कि सी.बी.आई. द्वारा इस संबंध में जानकारी नहीं चाही गयी थी कि उक्त किसान विकास पत्र किस माध्यम से खरीदे गये थे। यह कहना सही है कि प्रपी—122 पर मेरा कोई हस्ताक्षर नहीं है। यह कहना सही है कि प्रपी—122 किसने जारी किया इसकी मुझे जानकारी नहीं है।

11— यह कहना सही है कि प्रपी—123, कंप्यूटर जनरेटेड प्रति है। आज मैं नहीं बता सकता कि प्रपी—123 किस दिनांक को जनरेट किया गया है। यह कहना सही है कि प्रपी—123 पर कोई तिथि का उल्लेख नहीं है। यह कहना सही है कि मेरे द्वारा प्रपी—123 के संबंध में धारा 65 भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का कोई प्रमाण पत्र जारी नही किया गया है। स्वतः कहा कि प्रपी—123 पर मैंने सील सहित हस्ताक्षर कर प्रमाणित किया है।

12— यह कहना गलत है कि प्रपी—123 की जानकारी मेरे द्वारा जनरेट नहीं की गयी है। यह कहना सही है कि प्रपी—123 पर यूजर का नाम कमलदेव उल्लेखित है। यह कहना सही है कि जो व्यक्ति कंप्यूटर पर जानकारी एक्सेस करेगा यूजर नेम में उसी का नाम दर्शित होगा।

साक्षी को पढ़कर सुनाया गया।
सही होना स्वीकार किया।

सही/—
(ममता पटेल)
अपर सत्र न्यायाधीश/
स्पेशल जज ऑफ स्पेशल कोर्ट फॉर ट्रायल
ऑफ सी.बी.आई. केसेस
रायपुर छ.ग.

मेरे निर्देश पर टंकित।

(ममता पटेल)
अपर सत्र न्यायाधीश/
स्पेशल जज ऑफ स्पेशल कोर्ट फॉर ट्रायल
ऑफ सी.बी.आई. केसेस
रायपुर छ.ग.

साक्षी के हस्ताक्षर .....